

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- ३८८५

दिनांक:- ०७/२/२३

ई-निविदा सूचना

U. B. No.....

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से 4 बड़ी सिवर जेटिंग कम सक्सन (8500 ली. क्षमता) मशीनों के रखरखाव एवं संचालन दो वर्ष हेतु निविदाएँ अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से ई निविदा प्रक्रिया से आंमत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.ajn.nic.in, www.ajn.nic.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक:- ३८८५ + ०३८४

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 2 उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 3 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 4 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 5 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 6 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाइट www.ajn.nic.in/mcjs, www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
- 7 राजरथान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 8 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.ajn.nic.in पर अपलोड करावें।
- 9 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 10 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम मवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:-

दिनांक:-

ई-निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मा/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निम्नलिखित कार्य दो वर्ष हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	९/०२/२०२३	०५:०० Pm
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	१०/०२/२०२३	११:३० Am
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	०१/०३/२०२३	३:०० Pm
निविदा शुल्क/घरोहर राशि /ई-टेप्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डी.डी./बैंकसे चैक की मूल प्रति गैरेज शाखा दक्षिण कक्ष नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	०१/०३/२०२३	३:३० Pm
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	०१/०३/२०२३	४:०० Pm

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में)	घरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)	कार्य की अवधि
1	8500 ली. क्षमता की चार सीवर जेटिंग कम सक्सन मशीनों के संचालन एवं रखरखाव मय समस्त व्यय एवं POL	260 लाख	520000/-	2000/-	2000/-	2 वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।
- निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

✓ ✓ ३-३-२०२३ X

3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	2000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	520000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	2000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।


 आयुक्त
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम मवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(ceo nnji@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:-

दिनांक:-

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की चार सीवर जेटिंग कम सक्सन (8500 ली. क्षमता)
मशीनों के रखरखाव, संचालन कार्य दो वर्ष हेतु निविदा की नियम व शर्तें

1. कार्य की परिभाषा :-

1. निविदादाता को निविदा सुचना में दिये निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करना होगा निविदा दो लिफाफा पद्धति द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम तकनीकी बिड एवं द्वितीय वित्तीय बिड होगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोलने की सुचना प्रथक से प्रेषित की जायेगी।
2. निगम दक्षिण द्वारा निविदादाता को 04 बड़ी (8500 ली. क्षमता) की सिवर मशीने सुपुर्द की जायेगी जिनकी समय पाबन्द संचालन एवं उचित रखरखाव हेतु चालक Stanker/Helper, मैकेनिक, हेल्पर, डीजल, ऑयल ल्युब्रिकेन्ट्स, जेटिंग हेतु पानी, पार्ट्स मरम्मत आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। 04 बड़ी मशीनों को सुपर शकर की शर्त पर Develop कर संचालन करना होगा।
3. वाहनों का संचालन गैरेज/निगम द्वारा निर्देशित स्थल से किया जायेगा। कार्य की समाप्ति पश्चात वाहन उक्त स्थल पर ही रिपोर्ट करेंगे।
4. उक्त समस्त मशीन उपयोग अवस्था में सुपुर्द किये जायेंगे। वाहनों का अवलोकन अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
5. वाहनों के खडे रखने हेतु समुचित स्थल/निगम क्षेत्र में करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं समस्त वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. संविदा की अवधि 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक होगी। संवेदक की दरे नई निविदा के कार्यादेश होने की दिनांक से दो वर्ष पश्चात नई निविदा होकर कार्यादेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी। एक वर्ष पश्चात बिना कारण बताये निविदा निरस्त की जा सकती है जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
7. नियमित कार्यों के समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन रिथ्रिटि में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी आवश्यक होगी। जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।
8. निविदादाता द्वारा अधिकृत डीलर से ओरिजनल इक्विपमेंट के साथ ही मरम्मत करवानी होगी। जिसके साक्ष्य स्परूप मांगे जाने पर अधिकृत डीलर की Invoice प्रस्तुत करनी होगी।
9. जनरल सीवर मशीन के साथ नियमित सिवर लाईन सफाई हेतु आवश्यक श्रमिक (कम से कम दो helper/Stanker प्रति मशीन चालक अतिरिक्त) लगाकर कार्य कराना होगा।

१९

१०८

आमित

X

10. नगर निगम दक्षिण में स्पष्टतया रोका लगाने का कार्य Stanker द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं लोग बुक में प्रविष्टि कर मु.स.नि. द्वारा प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा। सभी 80 वार्डों में विछी हुई समस्त सिवर लाईन की नियमित रुकावट की सफाई करना।
11. सीवर मशीनों के कार्य का निर्धारण निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/मुख्य सफाई निरीक्षक करेंगे उसी अनुसार कार्य किया जायेगा। सीवर मशीनों की दैनिक कार्यों हेतु सुपुर्दगी मुख्य सफाई निरीक्षक को की जायेगी एवं कार्य का निरस्तारण मुख्य सफाई निरीक्षक के निर्देशानुसार किया जायेगा व अन्तिम प्रमाणीकरण सम्बन्धित ऐरीया मु.स.नि. द्वारा किया जायेगा।
12. निविदा में दर GST के अतिरिक्त सभी करों सहित देनी होगी। तथा प्रस्तुत दावे में से टी.डी.एस. एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी। लागू होने पर GST देय होगी।
13. उपरोक्त जॉब कार्य पूर्ण रूप से कोन्ट्रैक्ट बेरीस पर होगा फर्म द्वारा संचालन रखरखाव के लिये लगाये श्रमिक का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक स्वयं का होगा किसी भी स्थिति में इन श्रमिकों की सेवा व कार्य सम्बन्धी मामले में विवाद पर नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा न ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा।
14. मशीनों की संख्या में बिना बताये कर्मी करने/बढ़ाने का अधिकार निगम दक्षिण हो रहेगा।

2. निविदा प्रस्तुत करना :-

1. निविदा द्वि-स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिकी बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :-

“आयुक्त”
नगर निगम जोधपुर दक्षिण, जोधपुर
 (नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई-मेल, फोन नम्बर अंकित करें):-

3. संवेदक की पात्रता :-

- 3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर चैक की रक्केन प्रति।
- 3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की रक्केन प्रति।
- 3.3 फर्म का गत 3 वर्षों में औसत टर्न ओवर 200.00 लाख रुपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स सीट की रक्केन प्रति।
- 3.4 फर्म को पिछले 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में न्यूनतम रु. 300.00 लाख की राशि तक सीवर मशीनों का रखरखाव, संचालन मय सीवर लाईनों को Plug करने का कार्य किसी राजकीय विभाग/स्वायतशासी संस्था/नगर निगम आदि में कार्य का अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियंता या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रस्तुत तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.5 निविदादाता/फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि विभाग में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन की रक्केन प्रति।
- 3.6 फर्म का पंजीयन किसी Appropriate Class में भी होना चाहिए
- 3.7 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अद्वासरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बन्धित शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी रक्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- 3.8 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की रक्केन प्रति।
- 3.9 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की रक्केन प्रति।
- 3.10 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की रक्केन प्रति।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.10 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। अपलोड किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में निविदा समिति निविदादाता से स्पस्टीकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. सामान्य शर्तें :-

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क के निविदा रखीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई-प्रक्रिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे संबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम-शर्तों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नहीं होगी। प्रस्तुत दरें जी.एस.टी. के अतिरिक्त सभी करों सहित होंगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर गैरेज शाखा कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा संशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि दो वर्षों की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाइल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।
11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :—
 - (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
 - (ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(A)

V अमानु

X 7

(ग) नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।

(ङ) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

12 सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।

13 यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

14 कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तों की पालना करते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा।

15 सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदर्भ नहीं किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।

16 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।

17 **प्रतिभूति निक्षेप का सम्पहरण (Forfeiture):**— प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः सम्पहरण किया जा सकेगा—

(क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(घ) प्रतिभूति निक्षेप के सम्पहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कर्य अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18 निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी

(i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।

(ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

(iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

✓
A
27

- (v) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
19. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि—
 (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
 (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
 (3) जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
20. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई-प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
21. माँगों जाने पर तकनीकी बिड दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
22. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
23. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
24. सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

5. हस्तान्तरण / सुपुर्दगी:-

- निगम द्वारा उक्त समस्त वाहन मय आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ निविदादाता को सुपुर्द किये जायेगे। हस्तान्तरण के समय वाहन की कंडीशन का पूर्ण रिकार्ड रखा जायेगा हस्तान्तरण निम्न सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा। (अ) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), (ब) अधिशाषी अभियंता (गैरेज), (स) उपायुक्त (गैरेज), (द) वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी।
- द्विवर्षीय दर अनुबंध की समाप्ति पर वाहन की सामान्य क्षति पुर्ति करते हुए चालू हालत में निगम को सुपुर्द करने होंगे।
- दर संविदा अवधि में वाहनों में होने वाली टूट फूट या खराबी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

6. कार्य विधि :-

- संचालन
- सामान्यतया मशीनों का संचालन 12 घण्टे (प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे) के कुल समय में आवश्यकतानुसार 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। 8 घण्टे से अधिक कार्य करने पर अनुपातिक रूप से अतिरिक्त भूगतान देय होगा एवं 8 घण्टे से कम कार्य पर अनुपातिक कटौति की कार्यवाही भी की जायेगी।
- जिसका निर्धारण उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मशीन का संचालन पुरे माह (30/31 दिन) किया जायेगा। माह में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

(Signature)

4. Routine Quarterly General Repair Maintenance हेतु चार्ट बना अधिकृत डिलर से कार्य करवाना होगा Rear Equipment/Sewer Machine की भी Quarterly Repair Maintenance भी Carry कर Log Book में Entry कर गैरेज अभियंता से प्रमाणिकरण करवाना होगा।
5. चालक मशीन के संचालन हेतु दक्ष व प्रशिक्षित वैद्य लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। इसके अभाव में हुई किसी भी शासकीय या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।
6. निविदादाता को चालक आदि का उपयुक्त बीमा इन्श्योरेन्स कराना होगा एवं श्रम नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। निविदा कार्य के दोरान उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. लेबर चालक के अनुशासित समय पाबन्द मृदुभाषी होना आवश्यक है उसके दुर्व्ववहार व गलत आचरण के लिये निविदादाता ही जिम्मेदारी होगी व ऐसी रिथति में गैरेज प्रभारी के निर्देश या मांग पर उसी दिवस को उपर्युक्त लेबर, चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
8. चालक या लेबर को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. निगम की ओर से देय नहीं होगा।
9. दोष पूर्ण संचालन से मशीन को हुई क्षति की भरपाई संवेदक को करनी होगी, जिसकी फर्म के आगामी मासिक बिलो से कटौति की जायेगी।
10. उपलब्ध करवाये वाहन चालकों हेल्पर, Stankar का विवरण

क्र.सं.	वाहन चालक का नाम व पता

सफल संवेदक को वाहन चालकों के वैद्य लाईसेन्स की प्रति प्रारम्भ से पूर्व अधिशाषी अभियंता (गैरेज) को प्रस्तुत करनी होगी।

11. मशीनों का फोरमेट निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मशीन वाहन नम्बर	मशीन मैक मॉडल	मशीन क्य वर्ष	मशीन उपयोग सक्षमता / जेटिंग	क्षमता	मशीन चैसीस ट्रक / मिनी ट्रक टैक्सी
1	RJ19 GG 1375	अशोका लिलेण्ड	2019	सक्षमता एण्ड जेटिंग	8500 Ltr.	ट्रक
2	RJ19 GG 6089	-do-	2019		8500 Ltr.	ट्रक
3	RJ19 GG 1379	-do-	2019		8500 Ltr.	ट्रक
4	RJ40 GA 5441	-do-	2022		8500 Ltr.	ट्रक

12. संवेदक द्वारा कर्मचारियों को कार्य के दोरान PPE उपलब्ध कराने होंगे। सुरक्षा उपकरण जैसे वर्दी, सेफ्टी जेकेट, Oxygen Cylinder With मास्क, बेल्ट, हेल्मेट, रोशनी, बाल्टी, हैण्ड गलवज, सीढ़ी इत्यादि अपने स्तर पर व्यवस्था कर हमेशा कार्य के दौरान साथ

(A) ✓ अलिया ✗


- रखने होंगे। कार्य के दोरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निगम दक्षिण उत्तदायी नहीं होगा। सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
13. निविदादाता को निविदा के साथ फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में रजिस्ट्रेक्शन का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। अन्यथा तकनीकी बिड में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तिय बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
 14. संवेदक द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत किया जाने वाले बिल के साथ कर्मचारीयों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की राशि सम्बन्धित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा। GST अगर लागु हो, उसके भुगतान की प्रति आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7. रखरखाव :-

1. मशीन का रखरखाव या संचालन का कार्य उक्त मशीने में Quarterly मेन्टेनेन्स शिड्यूल अनुसार कराया जायेगा। यदि मरम्मत व रखरखाव में किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि की जाती है तो निगम द्वारा कार्य या स्पेयर पार्ट या ल्युब्रिकेन्ट्स इत्यादि की आपूर्ति कर मशीन का संधारण किया जायेगा। जिसकी कटोती बिल से की जायेगी।
2. मशीन मु.स.नि. Office या site पर निर्धारित समय से बिलम्ब से पहुंचने या कार्य स्थल से समय पहले चले जाने पर घण्टे के अनुसार अनुपातिक कटौति एवं प्रति घटना 500/- की शास्ति होगी जिसका प्रमाणिकरण लोग बुक की प्रविष्टि एवं GPS Report के परस्पर मिलान के आधार पर किया जायेगा।
3. रखरखाव के अन्तर्गत सम्पूर्ण चैसीस (इंजिन, क्लच, Gear Box, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफेन्शीयल, व्हील हब) की रिपेयर मेन्टेनेन्स मय Spare संवेदक के जिम्मे होगी। सिवर मशीन के अन्तर्गत चैसीस पर माउन्टेड सम्पूर्ण मशीन के रिपेयर, मेन्टेनेन्स एवं संचालन की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। चैसीस एवं सिवर मशीन में किसी प्रकार की खराबी आने पर Site पर 1 घण्टे में On Road करनी होगी। On Road न होने पर 1 घण्टे पश्चात् कार्य के घण्टों अनुसार अनुपातिक कटौति की जायेगी।
4. निविदादाता रखरखाव के अन्तर्गत Quantely Genral Checkup/Maintenance अधिकृत डीलर से करवायेंगे जिसके साक्ष्य स्वरूप डीलर का Invoice प्रस्तुत करना होगा।

8. दुर्घटना:-

1. मशीन को दुर्घटना की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसार के लिये निगम दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा ना ही किसी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा देय होगा। वाहनों का उचित बीमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बीमा अवधि की समाप्ति पश्चात् कोई मशीन संचालित नहीं की जायेंगी नियमों के विरुद्ध मशीनों को संचालित करने पर हुई किसी की क्षति एवं सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा। समर्त खर्च संवेदक को वहन करना होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण मशीन से हुई टूट फूट के लिये निविदादाता जिम्मेवार होगा एवं समर्त व्यय संवेदक को वहन करना होगा।



Handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page, likely belonging to the parties involved in the agreement.

9. **कार्य प्रमाणन :-**

1. मशीन के कार्य का प्रमाणीकरण GPS रिपोर्ट अनुसार किया जाकर Log Book प्रतिष्ठी से मिलान किया जायेगा उसी अनुसार भुगतान किया जायेगा कम या अधिक कार्य करने पर घण्टे अनुसार अनुपातिक भुगतान या कटौती की जायेगी।
2. निविदादाता स्वयं द्वारा उपलब्ध कराई लॉग बुक को भरे जाने एवं सक्षम अधिकारी या प्रभारी से प्रमाणित कराये जाने का दक्षिणदायी होगा। अधिशासी अभियंता (गैरेज) को प्रमाणित लॉग बुक प्रस्तुत करने हेतु निविदादाता दक्षिणदायी होगा।
3. प्रत्येक माह का बिल अगले माह की 10 तारीख तक व सीएसआई के अन्तिम प्रमाणीकरण (हस्ताक्षर मय सील), पश्चात् सहायक अभियंता (यांत्रिकी) को 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
4. निर्धारित कार्य दिवसों पर अनुपस्थित रहने पर 1000 रु. प्रति मशीन प्रतिदिन शास्ति वसूल की जोयेगी। साथ ही अनुपस्थित दिवसों का नियमित भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
5. विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन कार्य हेतु मशीनों का संचालन निगम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर करवाया जा सकता है। इसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. मशीनों का दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में निर्देशों के विपरित संचालन की स्थिति में आयुक्त द्वारा बिना कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने एवं निगम आपने विवक पर अन्य फर्म से कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र होग एवं संवेदक विरुद्ध वित एवं लेखा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. समस्त शर्तों की पालना में मतभेद होने पर आयुक्त द्वारा व्याख्या की जायेगी। परन्तु दोनों पक्षों में विवाद होने पर आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय दोनों पक्षों का मानना होगा। आर्बिट्रेटर क्षेत्रिय उपनिदेशक स्थनीय निकाय विभाग जोधपुर होंगे।
8. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर की रिस्क व कोस्ट पर भी अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा व फर्म को ब्लेक लिस्ट किया जाएगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. किसी भी विवाद में आयुक्त का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. निविदा संबंधित सा.नि.वि. एवं लेखानियम RTPP नियम की शर्तें भी यथा परिवर्तन लागू होंगी।
11. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
12. निगम की मशीनों का किसी भी कार्य दिवस पर गैरेज में अवलोकन किया जा सकता है।
13. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान गैरेज अधिकारी या उसके निर्देशानुसार भेजे गये फीटर द्वारा किसी भी समय मशीनों का निरीक्षण किया जा सकता है। एवं मशीनों की हालत ठीक नहीं होने पर गैरेज अभियंता वाहन में होने वाली वार्तविक क्षति के सम्बन्ध में ठीक कराने हेतु निर्देश जारी करेगा जिसकी पालना संवेदक को करनी होगी।
14. मशीन द्वारा समुचित सफाई नहीं करने या अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करने पर 1000/- रु. प्रतिदिन मशीन शास्ति प्रस्तावित की जायेगी।

4

✓ भास्तव्य ✗

15. सीवर मशीन रियर इक्विपमेंट में लगे कम्पनी ब्रांड के माईनर, मेजर पार्ट्स, एसेम्बली ही खरीद कर लगानी होगी। Local निम्न क्लास की गुणवत्ता वाले Spare लगा कर रिपेयर करने पर हुई अन्य क्षति की वसुली भी निविदादाता जायेंगी के आगामी विलों से की जायेगी।

10. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

- 1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ़ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

(A)  अल्ला -
X

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्य का नामः— नगर निगम जोधपुर दक्षिण की चार, 8500 ली. क्षमता की सीवर जेट कम सक्सन मशीनों के दो वर्ष हेतु रखरखाव एवं संचालन मय समस्त व्यय एवं POL सहित निविदा

वित्तीय बिड

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	दर (GST के अतिरिक्त सभी करो सहित)
1	सीवर जेटिंग कम सक्सन मशीन (8500 Ltr.) रखरखाव एवं संचालन (चालक, P.O.L. रिपेयर एवं समस्त व्यय सहित)	(अंको में) रूपये (शब्दो में) रूपये प्रति मशीन, प्रति माह
2	सीवर जेटिंग कम सक्सन मशीन संचालन के अन्तर्गत रोका लगाने एवं कार्य समाप्ति पश्चात् खोलना (600 mm Dia तक)	(अंको में) रूपये (शब्दो में) रूपये प्रति रोका
3	सीवर जेटिंग कम सक्सन मशीन संचालन के अन्तर्गत रोका लगाने एवं कार्य समाप्ति पश्चात् खोलना (600 mm Dia से अधिक)	(अंको में) रूपये (शब्दो में) रूपये प्रति रोका

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

कार्यालय नगम जोधपुर दक्षिण

—:: अण्डर-टेकिंग ::—

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य हैं, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत हैं।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर व्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

नगर निगम के इन वाहनों/मशीनों पर लगाये जाने वाले सभी वाहन चालकों/ऑपरेटर/सुपरवाईजर/सीवर सफाईकर्मी से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस निविदा कार्य हेतु आवश्यक सभी वाहन/मशीन चालक, प्रशिक्षित सीवर सफाईकर्मी सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ मशीन के साथ उपलब्ध करवाकर निविदा शर्तों अनुसार कार्य का संचालन करेंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर विना व्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक :



निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to [Enter designation and address of the procuring entity] for procurement of [Insert name of the Works] in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: _____ Signature of Bidder

Place: _____ Name:

Designation:

Address:

